रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12042021-226526
CG-DL-E-12042021-226526

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 12, 2021/चैत्र 22, 1943
No. 153] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 12, 2021/CHAITRA 22, 1943

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई,17 मार्च, 2021

सं. टीएएमपी/18/2013-विविध.—पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार से प्राप्त पत्र संख्या पीआर-14019/16/2012-पीजी दिनांक 01 मार्च 2021 के अनुसरण में, एतद्‌द्वारा महापत्तन प्राधिकरण द्वारा महापत्तनों पर परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क के निर्धारण से संबंधित आदेश संख्या टीएएमपी/18/2013-विविध द्वारा 30 सितम्बर 2013 को अधिसूचित संशोधित दिशा-निर्देश की वैधता की अवधि का विस्तार कियाs जाता है, जैसाकि इसके साथ संलग्न आदेश में दिया गया है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

संख्या टीएएमपी/18/2013-विविध

कोरम

(i). **श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)**

(ii). **श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य (आर्थिक)**

आदेश

(मार्च 2021 के इस 16वें दिन को पारित)

1.1. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) [तत्कालीन पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस)] ने अपने पत्र संख्या पीआर-14019/16/2012-पीजी दिनांक 9 सितम्बर 2013 और 12 सितम्बर 2013 द्वारा महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 111 के अंतर्गत महापत्तन स्थित परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क के लिए निर्धारण के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए थे।

1.2. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी नीतिगत निदेशों के अनुपालन में महापत्तन, 2013 पर परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क के लिए निर्धारण के लिए उक्त दिशा-निर्देश महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा 30 सितम्बर 2013 को राजपत्र संख्या 254 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए थे। इन दिशा-निर्देशों को 9 सितम्बर 2013 से लागू किया गया था।

2. उक्त दिशा-निर्देशों के खण्ड 1.6 जिसे यहां 2013 के संदर्भ प्रशुल्क दिशा-निर्देश कहा गया है, में यह विनिर्दिष्ट है कि जब तक इसे सामान्य समय से पहले रद्द अथवा संशोधित नहीं किया जाता, इन दिशा-निर्देशों की इसके जारी होने की तारीख से 5 वर्षों के पश्चात समीक्षा की जाएगी और संशोधित किया जाएगा। तद्नुसार, उक्त संदर्भ प्रशुल्क दिशा-निर्देश, 2013, जिन्हें 9 सितम्बर 2013 से लागू किया गया है, 8 सितम्बर 2018 तक विधि मान्य थे।

3. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पत्र दिनांक 10 दिसम्बर 2018, 15 अक्तूबर 2019 और 25 अगस्त 2020 के अनुसरण में, जिनके द्वारा समय-समय पर "महापत्तन 2013 स्थित परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क के लिए निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश" की वैधता अवधि का विस्तार किया जाता रहा है, इस प्राधिकरण ने समय-समय पर "महापत्तन 2013 स्थित परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क के लिए निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश" की वैधता अवधि का विस्तार करने से संबंधित आदेशों को अधिसूचित किया है। इस प्राधिकरण द्वारा अंतिम विस्तार का अनुमोदन आदेश संख्या टीएएमपी/18/2013-विविध दिनांक 8 सितम्बर 2020 द्वारा अनुमोदित किया गया था जिसमें इस प्राधिकरण ने उक्त दिशा-निर्देशों की वैधता की अवधि का विस्तार इसकी समाप्त होने की तारीख से एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि तक अथवा 9 मार्च 2020 से 8 मार्च 2021 तक अथवा आगे और आदेश होने तक, जो भी पहले हो, किया गया है। उक्त आदेश भारत के राजपत्र में राजपत्र संख्या 373 द्वारा 24 सितम्बर 2020 को प्रकाशित किया गया था।

4. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा महापत्तन न्यास और बीओटी प्रचालकों के साथ परामर्श से संदर्भ प्रशुल्क दिशा-निर्देशों की समीक्षा की जा रही है। संदर्भ प्रशुल्क दिशा-निर्देशों को अंतिम रुप देने में कुछ समय और लग सकता है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या पीआर-14019/16/2012-पीजी दिनांक 01 मार्च 2021 द्वारा "महापत्तन 2013 स्थित परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क के लिए निर्धारण के लिए संशोधित दिशा-निर्देश" की वैधता की अवधि का विस्तार छ: महीने की अतिरिक्त अवधि अर्थात 08 सितम्बर 2021 तक अथवा आगे और आदेश होने तक, जो भी पहले हो, करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन संसूचित किया है।

5. तद्नुसार, यह प्राधिकरण "महापत्तन 2013 स्थित परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क के लिए निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश" की वैधता अवधि का विस्तार इसके समाप्त होने की तारीख से छ: महीने की अवधि के लिए अर्थात् 9 मार्च 2021 से 8 सितम्बर 2021 तक अथवा आगे और आदेश होने तक, जो भी पहले हो, की अतिरिक्त अवधि के लिए वैधता का विस्तार को अधिसूचित करता है।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III/4/असा./17 / 2021-22]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th March, 2021

No. TAMP/18/2013-Misc.—In pursuance of communication No. PR-14019/16/2012-PG dated 1 March 2021 received from the Government of India in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the 'Revised Guidelines for Determination for Tariff for Projects at Major Ports, 2013, notified vide Order No. TAMP/18/2013-Misc on 30 September 2013, as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

No. TAMP/18/2013-Misc

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 16th day of March 2021)

1.1. The Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MOPSW) [the then Ministry of Shipping (MOS)] vide its communication No. PR-14019/16/2012-PG dated 9 September 2013 and 12 September 2013 issued Revised Guidelines for Determination for Tariff for Projects at Major Ports, 2013 under Section 111 of the Major Port Trusts, Act, 1963 (38 of 1963).

1.2. The said Guidelines for Determination for Tariff for Projects at Major Ports, 2013 were notified by TAMP in the Gazette of India on 30 September 2013 vide Gazette No. 254 in compliance of policy direction issued by the Government of India under section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963. These guidelines came into effect from 9 September 2013.

2. Clause 1.6 of the said guidelines referred here as Reference Tariff Guidelines of 2013 stipulates that unless revoked or modified earlier, the Guidelines may be reviewed and revised after 5 years from the date of its issue. Accordingly, the said Reference Tariff Guidelines, 2013 which came into effect from 9 September 2013 was valid till 8 September 2018.

3. In pursuance of the MOPSW letters dated 10 December 2018, 15 October 2019 and 25 August 2020, extending the validity of "Guidelines for Determination for Tariff for Projects at Major Ports, 2013" from time to time, this Authority has notified the Orders extending the validity of the 'Guidelines for Determination for Tariff for Projects at Major Ports, 2013' from time to time. The last extension was approved by this Authority vide Order No. TAMP/18/2013-Misc dated 8 September 2020 wherein this Authority extended the validity of the said Guidelines for the further period of one year from the date of its expiry i.e. from 9 March 2020 till 8 March 2021 or until further orders, whichever is earlier. The said Order was published in the Gazette of India on 24 September 2020 vide Gazette No.373.

4. The Reference Tariff Guidelines are under review by the MOPSW in consultation with the Major Port Trusts and BOT operators. The finalization of the Reference Tariff Guidelines may take some more time. The MOPSW vide its letter No. PR-14019/16/2012-PG dated 1 March 2021 has conveyed the approval of the Competent Authority to extend the validity of Revised Guidelines for Determination for Tariff for Projects at Major Ports, 2013" for a further period of six months i.e. till 8 September 2021 or till further orders whichever is earlier.

5. Accordingly, this Authority notifies the extension of the validity of the 'Revised Guidelines for Determination of Tariff for Projects at Major Ports, 2013' for a further period of six months from the date of its expiry i.e. from 9 March 2021 till 8 September 2021 or until further orders, whichever is earlier.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Exty./17/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.04.12 20:08:26 +05'30'